में प्राईवेट पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कौन व्यक्ति किसके पास जाता था, सीबीआई के रिकोर्ड में क्या है, इसकी जानकारी देने का दायित्व सरकार का है । वरना हम ज्यूडिशयरी को क्रिटसाइज करते हैं कि ज्यूडिशियरी एक्टिविज्म हो गयी भ्रष्टाचार के हर मामले, हर चीज पर मुख्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजेपी मदद नही करते हैं । उनको अरेस्ट करने में पुलिस मदद नहीं करती है, कलक्टर और एस.पी. मदद नहीं करते और अगर ज्यूडिशियरी कुछ करती है तो कहा जाता है कि ज्यूडिशियरी की उनके साथ सांठ-गांठ है ।

Justice hurried is justice buried.

सैयद सिब्ते रज़ी : अभी अहलुवालिया जी यहां है नहीं वरना वे उन बातों का प्रोपर जवाब देते ।

†**سید سبط رضی:** ابھی آھلو والیہ جی یہاں ہیں نہیں ورنہ وہ ان باتوں کا پروپر جواب دیتے۔

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : आप उनसे कोई कम नहीं हैं ।

सैयद सिब्ते रज़ी : उनसे आपको प्रोपर जवाब मिलता मगर वे इस समय है नहीं ।

†**سید سبط رضی:** ان سے آپکو پروپر جواب ملتا مگر وہ اس وقت ہیں نہیں۔

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : देखिए, मैं अहलुवालिया जी का नाम नही लिया ।

सैयद सिब्ते रज़ी : नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन जो बातें कही हैं, हम लोग अनभिज्ञ लोग नहीं हैं, इसलिए इनको कृपा कल रख लें, जब वे यहां हों ।

†**سید سبط رضی:** نام نہیں لے رہے ہیں لیکن جو باتیں کہی ہیں ہم لوگ "انبھگیہ" لوگ نہیں ہیں اس لئے ان کو کرپیا کل رکھ لیں ۔جب وہ یہاں ہوں۔

†[]Transliteration in Arabic Script.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अहलुवालिया जी कोई नलवा नहीं है । अफगानिस्तान में बच्चो को डराया जाता था कि नलवा आ गया है । हमारे लिए यह हरि सिंह नलवा नहीं हैं, सिब्ते रजी साहब । अहलुवालिया साहब मेरी उस बेंच से भी इधर से भी आवाज नहीं दबा सकते जब मैं "अंतरात्मा आवाज से फैक्ट और फिगर्स के साथ अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से कतहा हूं । आप तो गृह मंत्री भी रह चुके हैं । आप तो हमारा भाग्य विधाता भी रहें हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARED): Please come to the point and conclude now.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यह एक बहुत बड़ा घोटाला है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, जो-जो उसकी सहयोगी पार्टियां है, जो भी यहां पर मौजुद है वे सब सरकार से यह मांग करे, वैसे भी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम पूरा मूवमेंट शुरू करेंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कमा को जल्द करवा दीजिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : धन्यवाद चतुर्वेदी जी । जैसा मुझे आदेश हुआ है मैं सदन को लंच के लिए एक घंटे तक के लिए स्थगित करती हूं ।

The House then adjourned for lunch at fifty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past three of the clock—THE VICE-CHAIRMAN, MISS SAROJ KHAPARDE, in the Chair.

SPECIAL MENTIONS

Need to Grant Permission to Expend Interest Earned on Money Deposited Under M.P.L.A.D. Scheme on Recommendations of M.Ps.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, I would like to take up Special Mentions. Shri Maheshwar Singh.

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra): Madam, the other day we had taken a decision that Special

Mentions would not be taken up today in view of discussion on Bihar.

SOME HON. MEMBERS: No, no. ... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No. A decision was taken on that day that Zero Hour Mentions and Special Mentions would be taken up today.

SHRI S.B. CHAVAN: These are being taken up since morning.

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, सांसद विकास निधि के अंतर्गत जो धनराशि दी जा रही है, उसके निष्पादन में आज सांसदों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । गाइडलांइस में तो यह कहा गया है कि जैसे ही कोई सांसद अनुशंसा करेगा, 45 दिन के भीतर संबधित कलैक्टर उस योजना का प्राक्कलन तैया करके निर्माण कार्य शुरू करेगा और तकनीकी तौर पर अगर कोई योजना संभव नहीं है तो सयम रहते संबधित सदस्यों को सूचित करेंगे ।परंतु ऐसा नहीं हो रहा है । कई जगहों 6-6,7-7महीने लग रहे हैं क्योंकि प्राक्कलन समय पर तैयार होकर नहीं आते इस अवधि में जो ब्याज ऐसी राशि पर आज बैंको में अर्जित होता है उस ब्याज को खर्च करने को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । इसके अभाव में कहीं कहीं तो कलेक्टर उस पैसे को खर्च कर देते हैं सांसद की अनुंशसा पर लेकिन आधिकांश जगह यह जवाब मिल रहा है चूंकि स्पष्ट निर्देश नहीं हैं इसलिए यह पैसा खर्च नहीं हो सकता है । इस समस्या के समाधान हेतु मैने एक प्रश्न पूछा । मैनें सोचा कि इस प्रश्न के पूछने से इस समस्या का समाधान होगा । लेकिन समाधान नहीं हुआ उल्टे समस्या और बढ़ी है । मैं यहां उस प्रश्न को कोट करना चाहता हूं आपके माध्यम से और इस सरकार का ध्यान लाना चाहूंग । 24 जुलाई को मैनें एक आतंरिकत प्रश्न 267 पूछा। मैं प्रश्न में नहीं जाता हूं लेकिन जो उत्तर मिला है उसको यहां पर कोट करना चाहूंगा ।

"सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है चाहे कोई भी परियोजना हो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निर्धारित पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग न करें तथापि ऐसे कुछ मामलों सूचना प्राप्त हुई हैं जिनमें ब्याज की राशि का उपयोग किया गया है । संबद्ध जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि में से खर्च की हुई राशि लौटाकर उसकी अनुमति करें" ।

मैडम, यह तो बिल्कुल उलट हो गया कि कहीं अगर किसी सांसद की अनुशंसा पर कोई ब्याज की राशि किसी विकास कार्य पर खर्च की गयी है तो उसमें ये निर्देश चले गए कि उसको रिकवर किया जाए जो कि सांसद विकास निधि का पैसा है उसमें से । जब यह पैसा सांसद की अनुशंसा पर खर्च किया जाना है और उसमें जो ब्याज अर्जित होता है क्योंकि अधिकांश कार्य हमको विकास खंडो के माध्यम से करवाना है और विकास खंड अधिकारी के पास उतना स्टाफ नहीं है कि समय रहते प्राक्कलन तैयार हो जाए, जब तक प्राकलन तैयार होकर परियोजना अधिकारी को नहीं जाता वहां से पैसा नहीं मिलता । तो उस अवधि में जो उसके ऊपर ब्याज अर्जित होता है उसमें तो सांसद को यह अधिकार होना चाहिए कि उसकी अनुशंसानुसार वह खर्च किया जाए । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे संबधित कलेक्टरों को इस प्रकार का निर्देश दें कि जो भी ब्याज इस राशि पर अर्जित होता है संबधित सासंद की अनुशंसानुसार उसको खर्च किया जाना चाहूंगा ।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : महोदया, जो अभी महेश्वर सिंह जी ने मसाला उठाया है वह बहुत गंभीर है । इसके पहले भी यह मामला उठ चुका है । यह ब्याज इसलिए अर्जित होता है कि काम समय पर विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । इसीलिए सांसद निधि में ही इसको जोड़ना चाहिए । और सासंद की अनुशंसा के अनुसार यह खर्च होना चाहिए, नम्बर एक । नम्बर दो, 1997-98 की राशि अभी तक मिली ही नहीं है ।अब चार महीने निकल गए हैं ।असली तीन महीने काम करने के जो होते है, अप्रैल से जून तक वह समय निकल गया है । देर से पैसा मिलता है । फिर पैसा मिलता है तो इस तरह से खर्च देर से होता है । फिर ब्याज भी नहीं दिया जाता है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और शासन से भी निवेदन है कि वर्ष 1997-98 की राशि तुरंत

रिलीज करें । अभी तक एक पैसा भी रिलीज नहीं हुआ है ।

श्री मोहम्मद मसूद खान (उत्तर प्रदेश) : मैडम,चार महीने हो गए है अभी यहां से पैसे नहीं गए है । उसका सूद कहां जाएगा यह नहीं मालूम ।उसके बाद जब जाएगा तो अब 5 परसेंट कास्ट बढ़ गयी है महज सेक्रेटेरियट से पैसा नहीं जाने की वजह से । मेरी आपके माध्यम से यह अपील है कि फर्स्ट अप्रैल से दो अप्रैल को पैसा चला जाए और उसके बाद आंकलन किया जाए, काम हो । वरना काम खाली यहां की सुस्ती की वजह से जिलों में नहीं हो रहा है । अब जब चार महीने में पैसा नहीं जाएगा तो आठ महीने तो वे लगा ही देंगे । लिहाजा यहां से तेजी करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तेजी करनी चाहिए ताकि पैसा पहुंचे और वक्त से काम हो ।

†شری محمد مسحود خان

"اتر پردیش":میڈم۔ چار مہینے ہوگئے ہیں ابھی یہاں سے پیسے نہیں گئے ہیں اس کا سودکہاں جائےگا توکب ۵۰ پرسینٹ کا سٹ بڑھ گئی ہے۔ محض سیکریٹریٹ سے پیسہ نہیں جانے کی وجہ سے میری آپ کے مادھیم سے یہ اپیل ہےکہ فرسٹ اپریل سے دواپریل کو پیسہ چلا جائے اور اسکے بعد آنکلن کیا جائے۔ کام ہو۔ ورنہ کا م خالی یہاں کی سستی کی وجہ ضلحوں میں نہیں ہو رہا ہے۔ اب جب چار مہینے میں پیسہ نہیں جائیگا توآٹھ مہینے تو وہ لگادیں گے۔ لہزایہاں سے تیزی کرنی چاہئے سینٹرل گورنمنٹ کو تیزی کرنی چاہئے تاکہ پیسہ پہنچے اوروقت سے کام ہو۔

†[] Transliteration in Arabic Script.

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): I fully associate myself with Shri Maheshwarji's submission. This will act as a disincentive to spend money on projects quickly. What will happen is, Collectors will keep this money and the interest earned and spend it elsewhere. For this point of view, any interest earned should go back to MPLAD fund and spent on projects.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Only a minute, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Did I allow you?

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Madam , I associate myself. As far as my State is concerned, recently I brought it to the notice of the hon. Ministers of our State because there was a G.O. from the State Government calling for tenders with regard to MPLAD fund. As far as our State is concerned, there are guidelines. We also have separate guidelines. Only the Speaker can amend the guidelines. Now the State Government has no authority to pass any G.O. for tendering on MPLAD fund. Thank you, Madam.

श्री नरेश यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इससे एक नई बात जोड़ना चाहता हूं कि एम.पी. लैंड का जो राशि जिला पदाधिकारी के यहां पड़ा रहता है उसका जो इन्ट्रेस्ट होता है उसके बारे में अभी तक कोई निर्देश नहीं गया है कि उसका क्या होना चाहिए? इसलिए हम यह चाहेंगे कि सरकार की और से यह निर्देश जाना चाहिए कि जो हमारा एक करोड़ रूपया जमा है उसमें से जो खर्च नहीं हुआ है उसका इन्ट्रेस्ट जो जिला पदाधिकारी के पास बचता है उसका क्या होना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष(कुमारी सरोज खापर्डे) : यह इतना महत्वपूर्ण विषय आपने यहां पर स्पेशल मेंशन के माध्यम से उठाया है मुझे ऐसा लगता है कि इस पर थोड़ा सा अधिक समय देना होगा और सभी मान्यवरों से उनके सुझाव हमें सुनने चाहिए तभी हमें पता चलेगा कि इनके क्या विचार है ।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : मैडम, मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो गाइड लाइन्स है उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे मानिटरिंग सिस्टम के लिए इसमें सांसदों के सुझाव पर यह किया गया । गाइडलाइन्स भेजी गई है कोलैक्टर को कि इम्प्लीमेंटशन के मानिटरिंग में सांसदों को इन्वाल्व किया जाएगा, मेरी समझ में यह कहीं भी नहीं किया जा रहा है, मेरे मामले में तो बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा है। कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं हैं । दूसरा गाइडलाइन्स है कि जो योजना एक महीने के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकती है कोई बड़ी योजना नहीं है, जैसे बिक सोलिंग की एक हजार फीट केवल सड़क के निर्माण की है तो वैसी योजना भी अभी पूरी नहीं हुई हैं। इस तरह से योजनाओं को काफी दिन तक लंबित रखा जाता है और उसके बारे में जो पहले पैसा रिलीज़ हुआ उसके एक कंसिडरेबल हिस्से का यूटिलाइजेशन नहीं हो गया तब तक आपको दूसरा फंड जाने में दिक्कत होती है । इसलिए यहां रूका रहता है । इसलिए गाइडलाइन्स के इंप्लीमेंटशन के लिए स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए । इस में सब से बड़ा जो महत्वपूर्ण है कि सांसदों को इन्वाल्व किया जाए । नहीं इन्वाल्व करने के चलते भी इंप्लीमेंटशन में काफी गड़बड़ी है । महोदया, इस में भी भ्रष्टाचार है । मैं पार्टिकुलरली इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब सांसदों को इस योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार है तो दूसरी योजनाओं के बारे में कल्पना की जा सकती है कि कितना गंभीर यह करप्शन का मामला है । जैसे इसमें कान्ट्रैक्र्स को बहाल नहीं करना है लेकिन छिपे दरवाजे से वे बहाल किए जाते हैं । मेट कहा जाता है उनको कान्टैक्टर नहीं कहा जाता । जैसे बिहार के अंदर पंचायते नहीं है । वहां ब्लाक डवैपमेंट आफिसर को योजनाओं के कार्यान्वयन की जवाबदेही दी जाती है । किसी पंचायत के अंदर अगर वह काम है तो पंचायत सेवक को इम्पलीमेंट करने की जवाबदेही दे दी गई और पंचायत सेवक लोकल एरिया के किसी मजबूत आदमी को उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए ठेका दे देता है । महोदया, इससे भी कमीशनखोरी है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और गाइडलाइन्स में और भी नए मुद्दे जोड़ें जाने चाहिए तथा जो पहले से गाइडलाइन्स है उनको स्ट्रिक्टली लागू करने के लिए कोलैक्टर के लेवल से किया जाए धन्यवाद ।

सैयद सिब्ते रज़ी (उत्तर प्रदेश) : मैडम, बात हम लोगों की योजना के संबध में यहां पर आ गई है तो यह जो इन्ट्रेस्ट का सवला है यह तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन बहुत सारा पैसा जो है वह सरकार के विभिन्न विभागों को जो निर्माण काम के लिए दिया जाता है उनको एडवांस कर दिया जाता है ।यहां तक कि 90परसेंट जो पैसा है वह डिसबर्स कर दिया जाता है और साल-साल,ड़ेढ़-डेढ़ साल तक वह काम पूरा नहीं होता है । मेरा सुझाव है कि अभी तक एम.पीज. की तरफ से क्या इस स्कीम को फीडबैक है इस संबध में कोई कमेटी नहीं बनी है । दोनों हाउसेज पर मुश्तमिल एक कमेटी बननी चाहिए जो हमारे क्या तजुर्बे हो रहे हैं इस स्कीम के लागू होने से उसको देखे । सब से ज्यादा हमें यही दिक्कत हो रही है । क्योंकि केन्द्र सरकार की जो ऐजेन्सी है, वह इसका इंपलीमेंटशन करती नहीं । टोटल ही हमको स्टेट एजेन्सी पर डिपेंड करना पड़ता है । स्टेट एजेन्सी बहुत स्लो काम करती है । यहां से बैगर कोई मंत्रणा हुए कभी कभी शासन आदेश जाते रहे हैं । जैसे अभी यह गया कि जो अर्ध-शासकीय या सरकारी एजेन्सी है,उनके अलावा भी किसी भी प्राईवेट कांट्रेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय अपना फैसला करके काम दे सकते हैं । अब इसके अंदर भी बहुत काफी ऐसी शुबह की चीजें आ रही है । कुछ भी हो, जो सरकारी एजेन्सी काम करती है उनका कुछ न कुछ दायित्व जरूर होता है । यह बाहर की एजेन्सी के लिए अभी गववर्नमेंट आर्डर गए है कि किसी भी बाहर की एजेन्सी को इसमें लगाया जा सकता है । जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिसमे डिसक्रिपेन्सीज हो सकती है, मिसएप्रोप्रिएशन आफ फंडस हो सकता है ।

महोदया, मेरा यह सुझाव है कि दोनों हाऊस की पांच पांच या आठ आठ सदस्यों की एक मिलीजुली समिति बननी चाहिए, जो पिछले तीन-चार साल के हमारे तजुर्बे हुए है, जो पिछले तीन-चार साल के हमारे तजुर्बे हुए है, जो जो हमारी दिक्कतें रही है, उस पर वह हमसे बात करे । हम हाउस में इस प्रश्न को कई मर्तबे उठा चुके हैं ।आज ब्याज का प्रश्न सामने आया,इंपलीमेंटेशन का सवाल आया , कहां तक हमें डिस्ट्रिक्ट अथोरिटी कोपरेट करती है वह बात आई । मैं यहां प्रिवीलेज कमेटी के बारे में डिसकस नहीं करूंगा क्योंकि परंपरा यह है कि किसी कमेटी के अंदर जो बातचीत होती है वह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उपस्थित होना पड़ा है क्योंकि उन्होनें डायवर्सन आफ एंड कर दिए थे । तो इन सब चीजों पर आप कृपया विचार कर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाऊस के मैम्बरान को लेकर एक कमेटी बनाएं स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब जो भी उसका रास्ता निकालें, मोडेलिटी उसकी तय करें । हम लोगों से बातचीत होनी चाहिए, हमारे विचार आने चाहिए बजाय इसके कि केन्द्र सरकार की मिर्निस्टरी जब चाहे,

जब वह महसूस करे बगैर हमसे बातचीत किए यहां से शासन आदेश जारी करे ।

महोदया, जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है,निश्चित रूप से जिस कैपिटल या पूंजी के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, स्वाभाविक रूप से वह उसे ही मिलना चाहिए और उसी के खाते में जमा होना चाहिए। कई जगह पर ऐसा हुआ कि खाते अलग रहते है । अब तो इंस्ट्रक्शंन चले गए है कि एम.पी के जो एरिया डवलपमेंट स्कीम है उसके अंतर्गत अलग से खाते खोले जायेंगे। तो उसमें से अगर इंटरेस्ट कहीं और डायवर्ट होता है तो यह एक बहुत बड़ी गलत बात है और इस मिसएप्रोपिएशन आफ फंड की सूरत में रखा जा सकता है । किसी जिला अधिकारी को यह अधिकार नहीं बनता कि जो एम.पीज. एरिया डवलपमेंट स्कीम के एकांउट में धनराशि सूद की सूरत में आई है उसे वह कहीं और डायवर्ट कर दें । जितने भी ऐसे केस हुए हैं, मैं समझता हूं कि उस कमेटी के सामने रखे जाने चाहिए ।उस कमेटी को 15 दिन में या एक महीने में जरूर मिलना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मोनटरिंग सिस्टम निकाला नहीं हैं ।हमारी बहुत सारी दिक्कतें हैं उन्हें हम हाऊस में जरूर उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो हैं उसकी स्थिति यह है जैसे एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है । हमारी बातों पर कोई तवज्जूह नहीं दी जाती है । इसलिए निश्चित रूप से यह हम सब इसमें कंसर्न हैं और सरकार को एक मैथोडोलोजी इसकी तय करनी चाहिए , निश्चित रूप से एक कमेटी बननी चाहिए ताकि हमारे आचार विचार जो है वह सरकार को मालूम होते रहे ।

†سید سبط رضی "اتر پردیش":

میڈم بات ہم لوگون کی یوجنا کے سمبندھ میں یہاں پر آگئی ہے تو یہ جو انٹرسٹ کا سوال ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہےہی۔لیکن بہت سارا پیسہ جو ہے وہ سرکار کے "وبھن وبھاگوں" کو جو نرمان کام کیلئے دیئے جاتے ہیں انکو ایڈوانس کر دیا جاتا ہے۔یہاں تک کے ۹۰ پرسینٹ جو پیسہ ہے وہ ڈسبرس کر دیا جاتا ہے اور سال سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال تک وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ میرا سجھاؤ ہے کہ ابھی تک ایم۔پیز کی طرف سے کیا اس اسکیم کا "فیڈ بیک" ہے اس سمبندھ میں کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے۔ دونوں ھاؤس پر مشتمل ایک کمیٹی بننی چاہئے جو ہمارے کیا تجربے ہو رہے ہیں اس اسکیم کے لاگو ہونے میں سب سے زیادہ ہمیں یہی دقت ہو رہی ہے۔کیونکہ کیندر سرکار کی جو ایجنسی ہے وہ اسکا امپلی مینٹیشن کرتی نہیں ٹوٹل ھی ہم کو اسٹیٹ ایجنسی پر ڈپنڈ کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ ایجنسی بہت سلو کام کرتی ہے۔ یہاں سے بغیر کوئی "منترنا " ہوئے کبھی کبھی شاسن آدیش جاتے رہتے ہیں جیسے ابھی یہ گیا کہ جو "اردھ شاسکیے' یا سرکاری ایجنسی ہے انکے علاوہ بھی کسی بھی پرایئویٹ کانٹریکٹر کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مہودے اپنا فیصلہ کر کے کام دے سکتے ہیں اب اسکے اندر بھی بہت کافی ایسی شہر کی چیزیں آ رہی ہیں۔ کچھ بھی ہو جو سرکاری ایجنسی کا م کرتی ہیں انکا کچھ نہ کچھ فرض ضرور ہوتا ہے۔ یہ باہر کی اجنسی کیلئے ابھی گورنمنٹ آرڈر گئے ہیں کہ کسی بھی باہر کی ایجنسی کو اسمیں لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے ماننئے سدسیہ نے کہا

†[]Transliteration in Arabic Script

طے کریں۔ ہم لوگوں سے بات چیت ہونی چاہئے ہمارے وچار آنے چاہئیں۔ بجائے اسکے کہ کیندر سرکار کی منسٹری جب چاہے جب وہ محسوس کرے بغیر ہم سے بات چیت کئے یہاں سے شاسن آدیش جری کرے۔

مہودیہ۔ جہا تک انٹریسٹ کا سوال ہے۔ نشچت روپ سے جس کیپٹل یا پونجی کے اوپر انٹرسٹ بنتا ہے۔ سوا بھاویک روپ سے وہ ا سے ہی ملنا چاہئے اور اسی کے کھاتہ میں جمع ہونا چاہئے۔ کئی جگہ ایسا ہوا کہ کھاتے الگ رہتے ہیں۔ اب تو انسٹرکشن چلے گئے ہیں کہ ایم۔پی۔ کی جو ایریا ڈیولپمنٹ اسکیم ہے اسکے تحت الگ سے کھاتے کھولے جائینگے۔ تو اسمیں سے اگر انٹرسٹ کہیں اور ڈائورس ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے اور ا سے "مس اپروپری ایشن آف فنڈس" کی صورت میں رکھا جا سکتا ہے۔ کسی ضلع ادھیکاری کو یہ ادھیکار نہیں بنتا ہے کہ جو ایم پیز ایریا ڈیولپمنٹ اسکیم کے اکاؤنٹ میں دھن راشی سود کی صورت میں آئی ہے ا سے وہ کہیں اور ڈائی ورٹ کر دے۔ جتنے بھی ایسے کیس ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کے سامنے رکھے جانے چاہئیں۔

اسمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسمیں "ڈسکری پینسیز" ہو سکتی ہیں۔ مین اپروپری ایشن آف فیڈس ہو سکتا ہے۔

مہودیہ۔ میرا ایسا سجھاؤ ہے کہ دونوں ھاؤس کی ۵ پانچ یا آٹھ آٹھ سدسیوں کی ملی جلی سمیتی بننی چاہئے۔ جو پچھلے تین چار سال کے ہمارے تجربے ہوئے ہیں جو جو ہماری دقتیں رہی ہیں۔ اس پر وہ ہم سے بات کریں۔ ہم ھاؤس میں اس سوال کو کئی مرتبہ اٹھا چکے ہیں۔ آج بیاج کا پرشن سامنے آیا۔ امپلی مینٹیشن کا سوال آیا۔ کہاں تک ہمیں ڈسٹرکٹ اتھارٹی کو آپریٹ کرتی ہیں۔ وہ بات آئی۔ میں یہاں "پری ویلیج کمیٹی" کے بارے میں ڈسکس نہیں کروں گا۔ کیونکہ پر مپرا یہ ہے کہ کسی کمیٹی کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کئی ادھیکاریوں کو پری ویلیج کمیٹی کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے۔کیونکہ انھوں نے "ڈائورجن آف فنڈس" کر دیئے تھے۔ تو ان سب چیزوں پر آپ کرپیا وچار کرکے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ھاؤس کے ممبران کو لیکر ایک کمیٹی بنائیں۔ اسپیکر صاحب اور چیئر مین صاحب جو بھی اسکا راستہ نکالیں۔ "ماڈیلیٹی" اسکی

लेकिन होता है या नहीं होता है, इसका भी मानिटरिंग सिस्टम चाहिए और सांसदों को इसमें क्या दिक्कतें हो रही है, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार कोई कमेटी बनाए और इसी तरह से जो उसमें गड़बडियां हो रही है, उनको रोका जाए।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट पास हो गया तो पैसा क्यों नहीं भेजते हैं ? अगर इस योजना को चलाना है तो पैसा दीजिए, नहीं चलाना है,बंद करनी है तो बंद कर दीजिए, कुछ तो साफ-साफ कीजिए। मेरा कहना है कि आधे मन से कोई काम न कीजिए, करना हो तो पूरे मन से कीजिए। ...(**व्यवधान**)...नोमानी साहब हम बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह क्या है कि जुलाई बीत गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया ? अब बरसात में कौन सी योजना लागू होगी और फिर यह साल खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। यही मेरे सुझाव थे। धन्यवाद।

†شری جلال الدین انصاری "بہار":

میڈم۔ اس سمبندھ میں ہم کو دو بات کہنی ہیں پہلی جو گائیڈ لائن کیندر سرکار سے گئی تھی اس گائیڈ میں لائن میں اسپشٹ تھا کہ سود کو اسمیں جوڑا جائیگا ورش ۹۵ ۹۵۔ ۱۹۹۴ کا جو آدیش گیا تھا اسمیں ایسا تھا۔ پھر یہ کہاں سے آگیا کہ اسکو نہیں جوڑا جائے گا۔ دوسری بات یہاں تک ہمارا مجھے انوبھو ہے ۲۰ سے ۲۵ فیصد تو وبھاگ اسمیں لے لیتا ہے اسکو آپ جانچ کرالیں۔ ۲۰ سے ۲۵ فیصد جو وبھاگ کام کراتا ہے وہی لے لیتا ہے۔ ایسا سسٹم ہے۔ دوسری راجیوں کا کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ تو یہ آج استھتی ہے۔ آپ کہہ رہے

اس کمیٹی کو پندرہ دن میں یا ایک مہینہ میں ضرور ملنا چاہئے کیونکہ گونمنٹ نے ابھی تک کوئی مانیٹرنگ سسٹم نکالا نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری دقتیں ہیں، انھیں ہم ہاؤس میں ضرور اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہماری سرکار جو ہے اسکی حالت یہ ہے جیسے ایک کان سے سنی ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ ہماری باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اسلئے نشچت روپ سے ہم سب اس سے کنسرن ہیں اور سرکار کو ایک "میتھو ڈولوجی" اسکی طے کرنی چاہئے۔ نشچت روپ سے ایک کمیٹی بننی چاہئے تاکہ ہمارے آچار وچار جو ہیں وہ سرکار کو معلوم ہوتے رہیں۔

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार) : मैडम, इस संबध में हमको दो बातें कहनी है। पहली, जो गाइडलाइन केन्द्र सरकार से गई थी, उस गाइडलाइन में स्पष्ट था कि सूद को उसमें जोड़ा जाएगा। वर्ष 1994-95 का जो आदेश गया था, उसमें ऐसा था। फिर यह कहां से आ गया था, उसमें ऐसा था। फिर यह कहां से आ गया कि उसको नहीं जोड़ा जायेगा? दूसरी बात, जहां तक बिहार का मुझे अनुभव है, 20 से 25 प्रतिशत तो विभाग उसमें ले लेता है। इसको आप जांच करा लें, 20 से 25 प्रतिशत, जो विभाग काम कराता है वही ले लेता है। ऐसा सिस्टम है। दूसरे राज्यों का क्या है, मुझे मालूम नहीं। तो यह आज स्थिति है। आप कह रहें हैं कि 10 परसेंट। कोई भी परसेंटेज हो, स्थिति अच्छी नहीं। हमारी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार को रोक देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लडेंगे। यह भ्रष्टाचार को रोक देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लडेंगे। यह जो सांसद का विकास का कोटा है, उसमें ही जब लूटमार मचा लेते हैं या हिस्सा बना लेते हैं तो कहां पर भ्रष्टाचार से यह सरकार लड़ने वाली है। हमारी समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम चाहतें हैं कि जो गाइडलाइनस हैं, उसमें होना चाहिए सांसद जो योजना बनाकर देंगे ।उसको 45 दिन के अंदर इंपलीमेंट होना चाहिए।

†[ ]Transliteration in Arabic Script

کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ جولائی بیت گیا لیکن ابھی تک پیسہ نہیں آیا۔ اب برسات میں کون سی یوجنا لاگو ہوگی اور پھر یہ سال ختم ہو جائیگا اسلئے ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ اسکو "سوچارو روپ' سے چلانے کیلئے اس پر گمبھیرتا سے وچار کیا جائے۔ یہی میرے سجھاؤ تھے۔ شکریہ۔

श्री सतीश अग्रवाल (**राजस्थान**) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदया। यह एम.पी. लाड की जो योजना प्रारंभ की गई थी, मै समझता हूं कि इसका काफी लाभ हुआ है लेकिन इसकी क्रियान्वित में बहुत गड़बडी हो रही है । मैनें, अपने पिछले तीन वर्षों में लगभग तीन करोड़ रूपए की राशि में से अधिकांश राशि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को ही दी है, मैं सड़क नाले, परनाले को नहीं देता हूं। लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है कि क्लैक्टर को हम चिट्ठी लिखते हैं । कई योजनाओं में जो मैनें 1994 में रिकार्ड की, वे 1995 में सैक्शन का दी गई और वही सैंक्शन प्रोजेक्ट 1996 में भी सैक्शन कर दिया गया जब मैनें कम्प्युटराइज्ड हिसाब मंगाया और मैनें कहा कि आप तो इसके 1995 में सैक्शंन कर चुके है, पैसा रिलीज़ कर चुके हैं, तो 1996 में इसे कैसे लिखा हुआ तो फिर करेक्शन हुआ उसमें । एक जगह ऐसा हुआ कि किसी म्यूनिसिपल कारपोरेशन को पैसा ट्रांसफर हुआ श्मशानों के उदार के लिए अब नगर पालिका की कोई अपनी योजना थी और उन्हीं श्मशानों के उदार में उन्होनें मेरा पास एप्रोप्रिएट कर दिया और हिसाब बनाकर भेज दिया कि पांच लाख रूपया हमने तो लगा दिया, जबकि वह उनकी अपनी योजना थी । तो मैनें देखा कि: This is not appropriation. This is misappropration. तो ऐसी कई उसमें कठिनाइयां आ रही है । अब एक महीने के ऊपर ब्याज मिलता है करीब 8 परसेंट का, एक महीने से कम का मिलता है 4.5 परसेंट का । जब हमारी धनराशि जो हमारे नाम से बैंक के एकाउंट में जमा होती है, अगर यहां के इंस्ट्रक्शंस जाएं तो उस धनराशि को वह इस तरह से जमा कराएं कि एक करोड़ रूपया भी अगर 8 परसेंट पर हो तो साल भर में 8 लाख होता है, उसमें से

ہیں کہ ۱۰ پرسنٹ۔کوئی بھی پرسنٹیج ہو استھتی اچھی نہیں۔ ہماری سرکار کہتی ہے کہ ہم بھرشٹ چار کو روک دینگے۔ بھرشٹ چار کے خلاف کریں گے۔ یہ جو سانسد کا وکاس کا کوٹہ ہے اسمیں ہی جب لوٹ مار مچا لیتے ہیں یا حصہ بنالیتے ہیں تو کہاں پر بھرشٹ چار سے یہ سرکار ڈوبنے والی ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ جو گائیڈ لائن ہیں اسمیں ہونا چاہئے۔ سانسد جو یوجنا بنا کرینگے اسکو ۴۵ دن کے اندر امپلیمنٹ ہونا چاہئے۔ لیکن ہوتا ہو ہے یا نہیں ہوتا ہے اسکا بھی مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہئے اور سانسدوں کو اسمیں کیا دقتیں ہو رہی ہیں انکو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کوئی کمیٹی بنائے اور اسی طرح سے جو اسمیں گڑبڑیاں ہو رہی ہیں انکو روکا جائے۔

اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ پاس ہوگیا تو پیسہ کیوں نہیں بھیجتے ہیں۔ اگر اس یوجنا کو چلانا ہے تو پیسہ دیجئے نہیں چلانا ہے۔ بند کرنی ہے تو بند کر دیجئے۔ کچھ تو صاف صاف کیجئے۔ میرا کہنا ہے کہ آدھے من سے کوئی کام نہ کیجئے کرنا ہو تو پورے من سے کیجئے..."مداخلت"... نعمانی صاحب ہم بند کرنے کیلئے نہیں

थोड़ा-थोड़ा निकलता है, साल में पूरा कभी नहीं निकलता । तो वह एक करोड पांच लाख रूपया तो निश्चित रूप से हो सकता है । वह ब्याज की राशि भी इसमें काम आनी चाहिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं, उनकी ड्रांइग होती है, उनका ब्लू प्रिंट होता है, उनका एस्टीमेंट होता है, उनकी फिजिब्लिटी रिपोर्ट देखी जाती है और 6-8 महीने तो इसमें ही निकल जाते हैं, सैक्शन जारी नहीं होता । सैंक्शन जारी होती है तो फिर पैसा रिलीज नही होता ।फिर इम्पलीमेंटिंग एजेंसी हैं, हम, उनको कानटेक्ट करते है तो वह कहते हैं कि पैसा नहीं आया । इस बीच में कास्ट बढ़ जाती है । प्राजेक्ट अगर 10 लाख का दिया हो तो वह प्रोजेक्ट 10 लाख 50 हजार का हो जाता है । उसमें क्या किया जाए ? अब 50 हजार रूपया कहां से आएगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की हैं ? तो ऐसी बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां, उनके इंप्लीमेंटेशन में,एग्जीक्यूशन मे आ रही हैं । मैंने थक-हारकर झक मारकार एक पत्र लिखा चीफ सैक्रेटरी को कि:

"I am going to move a privilege motion against you. You are not maintaining proper accounts. You are liable for contempt of the House."

ऐसी चार पेज की जब मैनें एक चिट्ठी लिखी तो लॉ से भी चिट्ठी आई, क्लेक्टर की भी चिट्ठी आई, चीफ सैक्रेटरी की भी चिट्ठी आई कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहें हैं, ठीक कर रहें हैं, फलां कर रहें हैं । तो इसके लिए कोई मेकेनिज्म सैंट्रेल लेवल पर हो क्योंकि इसका लाभ तो हैं। हमारे जयपुर शहर में एक मुस्लिम हाई स्कूल और वहां हास्टल की बहुत जरूरत हैं, वहां जिले के लडके पढ़ने आते हैं । उन्होनें मुझे दावतनामा दिया और मैं वहां गया । जब गया तो मैं 10 लाख रूपया हास्टल के लिए दे आया । इन बातों को करीब-करीब दस महीने हो गए, अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ । अब उसकी कॉस्ट 11 लाख हो जाएगी क्योंकि हर साल बिल्डिंग कास्ट बढ़ जाती है । अब मैं उनको एक लाख रूपया कहां से दूंगा । वह फिर मेरे पास आए, मैने फिर क्लैक्टर को फोन किया। इसी तरह से एक मोहम्मदी, अस्पताल है, उनको दस लाख रूपये दे आया । महोदया, मुश्किल यह होती है कि न कोई प्लान बनता है, न फीजोबिलिटी देखी जाती है । अब इन राष्ट्रीय बस्तियों में पानी की टंकी चाहिए थी । तो मैनें उसके लिए 5 लाख रूपया दे दिया लेकिन वह रूपया आज तक वहां नहीं पहुंचा । तो ये प्रॉब्लम्स हैं । हम किसको कहें ? आप कोई ऐसा मैकेनिज्म सेंट्रल लेवल पर क्रिएटस कर दीजिए, चाहे ज्वाइंट हो, चाहे लोकसभा और राज्यसभा का अलग-अलग हो लेकिन कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म अवश्य होना चाहिए जिसमें अफ्सरों को लगे कि: they can be hauled up for breach of privilege and contempt of the House if they violate the guidelines issued by the Speaker or the Governor.

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए कोई मैकेनिज्म जरूर निकलना चाहिए । हम अपनी ग्राविर्येसेज लेकर कहां जाएं ? मिनिस्ट्री से जवाब आया कि आपका पत्र मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को आवश्यक कार्यावाही के लिए भेज दिया गया है । उनका भी पत्र आ गया कि आपके सूचित कर देंगे। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है । यह तो ठीक है कि हमारा अपना कुछ असर है, हम फोन करके अपना काम करवा लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। इस हाऊस के मैंबर्स के लिए अलग मैकेनिज्म की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स को अप्रैल, 1995 से यह अधिकार मिल गया है कि वह अपने राज्य में यह फंड कहीं भी दे सकते हैं जिसे राज्य राज्य में चुनकर आए हैं । इसलिए यहां बात दूसरी हो जाती है । लोकसभा के मेंबर्स के लिए यह फंड तो केवल उनकी कांस्टीटयूऐंसी तक ही सीमित है । इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपकी प्रिविलेजेज की कमेटी में यह मैटर मूव हो जाए, थोड़ा अखबार में यह चीजें निकलती रहती हैं, यह बढ़ रहा है वह बढ़ रहा है अगर यह चीज निकल जाए तो सकारात्मक हो जाएगा । एक दफा अगर ब्यूरोक्रेट्स को बुलाकर रिप्रैंमांड कर दिया जाए तो सबकी आंखे खुल जांएगी । इसके बिना काम नहीं चलेगा ।

महोदया, यह योयना तो बहुत अच्छी है । ब्यरोक्रेटस को तो हजारों-करोंडो रूपये सैक्शन होते हैं । हम तो लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पानी की टंकी बनवा देते हैं या कहीं स्कूल के लिए पैसा दे देते हैं । महोदया, आप हंसेगी, कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल, जयपुर का सबसे पुरान गर्ल्स स्कूल हैं , मैं ज्यादातर गर्ल्स स्कूल्स के लिए पैसा देता हूं । वह स्कूल सबसे पुराना गर्ल्स स्कूल हैं । वहां जाने पर मैनें देखा कि एक कमरे में दो क्लासें चल रही है, एक का मुंह इधर है, दूसरी का मुंह उधर है । मैनें पूछा यह क्या है तो उन्होनें कहा कि कमरे नहीं हैं । तो मैनें कहा कि मैं देता हूं 5 लाख रूपए, आप कमरे बनवा लीजिए । मैं दे आया उनको, घोषणा कर दी, चिट्ठी भी लिख दी । महोदया, वह स्कूल चलता है देवस्थानम विभाग की बिल्डिंग में । देवस्थानम विभाग

वालों ने कहा कि अग्रवाल जी से कहिए कि हमको डोनेट कर दें । भई, भारत सरकार का पैसा हैं, मैं डोनेट करने वाला कौन हूं ? उन्होनें कहा कि हम तो केवल दान ले सकते हैं। देवस्थानम वाले दान ले सकते हैं, ऐसी सहायता नहीं ले सकते।अब वह मामला2 साल से पैंडिंग हैं । हमने कहा कि आप गवर्नमेंट आफ इंडिया को रेफर कर दीजिए और हमने कहा कि आप गवर्नमेंट आफॅ इंडिया को रेफर करवाया। लेकिन यहां से अभी तक फैसला नही हुआ है । अब आप बताइए किइसका समाधान कैसे हो ? वहां एक सरकारी स्कूल चल रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल तो चल रहा है । इसी तरह का सैंट्रल स्कूल हमने मंजूर कराया मानसरोवर से लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं । आप आश्चर्य करेंगी कि 10 लाख रूपया मैनें दिया, 10 लाख रूपया भार्गव जी ने दिया, तब जाकर वहां सैंट्रल स्कूल की बिल्डिंग बनी । यह हालत है । लड़कियां पढ़ रही हैं, वहां की जो बाउंड्री वॉल है उस पर ब्लैकबोर्ड बने हुए हैं और पेडों के नीचे बच्चे बैठें हुए हैं। वहां अभी हमने 3 कमरे बनवाए ।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके इंप्लीमेंटशन में बहुत प्रॉब्लम है । अगर एक दफा दो-चार लोगों को यहां बुलाकर रिप्रैमांड कर दिया जाए और थोड़ा अखबारों में उसको छपवा दिया जाए । अच्छी तरह से जैसे बाकी चीजें छपती हैं तो मैं समझता हूं कि उससे लोगों को एक सबक मिल जाएगा । इसलिए इसके लिए कोई मैकेनिज्म आप जरूर बनांए, इतना ही मेरा निवेदन है । धन्यवाद ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, यह मुद्दा बड़ा ही गंभीर हैं । मैं बिहार राज्य से आता हूं । जितना पैसा यहां से जाता है, पहले तो उसमें बंदिशें हैं, एक तो बिहार और ऊपर से बेगूसराय । महोदया, बलिया संसदीय क्षेत्र का एक ब्लाक पड़ता है, उसकी बगल में अलौली क्षेत्र हैं । मैनें 2 साल पहले उस हिस्से में किसी एक योजना के लिए कुछ पैसा एलॉट किया और उस योजना का नाम दे दिया लेकिन वह पैसा आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ है ।

खगड़िया के डी. एम.को फोन करता हूं तो कहता है कि आपका पैसा नहीं आया और इनको कहता हूं कि तो यह कहते हैं कि मैं देख रहा हूं ।तो यह कब तक चलता रहेगा । रोज मेरे को चिट्ठी मिल जाती है कि आपने फलां-फलां योजना जो 1994 में दी थी, 1995 में दी थी या 1996 में दी थी उस योजना में आपने एक लाख रूपया एलौट किया था, अब उसकी प्राइस बढ़ गई तथा अब एक लाख पैंतिस हजार रूपया चाहिए । पैंतीस हजार की और चिट्ठी लिखकर गई हैं ।अब यह कहां से पूरी की जाए । यह जो एक-एक करोड़ रूपया इनके पास पड़ा रहता है बैंक फंड में और वह जो बैंक फंड में और वह जो बैंक इंटरेस्ट कमा रहे हैं वह कहां जा रहं हैं, वह किस एकाउंट को जा रहा है । उसका एक सैप्रैट एकाउंट मेन्टेन होना चाहिए या वह कहां यूज होना चाहिए उस पर सब मैंबर वही बात कर रहें हैं, पर इस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया । महोदया, मैं पूरी तरह से अग्रवाल से सहमत हूं हमारे माननीय सदस्य श्री नीतिश अग्रवाल जी से । कह दिया कि धार्मिक स्थानों पर आप कुछ नहीं दे सकते । अब हम धार्मिक हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, हम लोगों के बीच विचरते हैं । लोग मांगते हैं कि एक धर्मशाला बना दीजिए या देव-स्थान पर जाने का रास्ता बना दीजिए, हम नहीं बना सकते । हम धर्मशाला बनांए तो कलक्टर कहता है कि —साहब यह नहीं कर सकतें ।कोई आता है और कहा कि — साहब, आप गुरू गोविंद सिंह जी के नाम पर भवन बना दीजिए , गुरू नानक के नाम पर बना दीजिए, सामुदायिक भवन बना दीजिए किसी मंदिर के बगल में, कही पूजा स्थान के बगल में । पर हम नहीं कर सकते हैं । बहुत तरह से अडंगे आ रहे हैं । महोदया, में जिस इलाके से आता हूं वहां छोटी-छोटी नदियां हैं और उस पर बिज्र सरकार बनाती नहीं हैं । आप जाएगी तो देखेंगी कि वहां आदमी कपड़े पहनकर घर से निकलता है तथा नदी के किनारे आकर अपने कपडे उतारकर बेचारा अंडर वियर में नदी को क्रौस करता है और फिर जाकर पकडे पहनता है । वह जब समान लादकर आते है तो जानवरों की पीठ से सामान निकालर अपने सिर पर बोझा ढोकर नदी क्रॉस करते हैं । वहां ब्रिज बनाने के लिए दिय। कहा कि 11 लाख रूपए आप कर नहीं सकते । हमने कहा कि 11 लाख का लिख देता हूं, दो इंस्टालमेंट में लिख देता हूं, पार्ट-1, पार्ट-2 करके ब्रिज बना दीजिए । एक बार ईस्ट से चलाइए, एक बार वैस्ट से चलाईए, पूरा कर दीजिए ब्रिज को । वह भी समझने के लिए तैयार नही हैं । तो फिर आखिर हम यह पैसा किस उपयोग में लाएंगे । या तो एक बड़ा बिज्र लिया जाए या पूरा एक सैम्पिल ब्रिज बना जाए कि ऐसे-ऐसे ब्रिज होंगे और वह पूरे नेशनल लेविल पर हमारे बिज्र बना दिए जांए कि हमारी कम्यूनिटी सैंटर की बिल्डिंग इतनी बड़ी बनेगी हमारे हैल्थ सैंटर की बिल्डिंग इतनी बड़ी बनेगी, हमारे स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी बनेगी, लाइब्रेरी की इतनी बनेगी, ब्रिज इतने बडे-बडे बनेंगे और उसका एस्टीमेंट बनाकर सी.पी. डब्लू- डी. पास करदे कि इतने रेट मे बनेगा और उसका नक्शा बनादे और वह नक्शा लागू कर लेंगे हम सब जगह और वही हमें बांट दिया जाये ।

फिर मैडम, एरिया की बात है एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड पर । मैंने ढाला की सड़क दी हुई हैं । वहां दोनों एक्जीक्यूटीव इंजीनियर लड़ रहे हैं । एक कहता है यह मेरा एरिया है और दूसरा कहता है यह मेरा एरिया है और दूसरा कहता है मेरा एरिया है । मैनें कहा कि जिसका एरिया हैं और दूसरा कहता हैं मेरा एरिया हैं। मैंने कहा कि जिसका एरिया हैं तुम फैसला करलो, जितनी कमीशन खानी हैं खा लो, इसको पूरा तो को, सड़क को तो बनाओ। फिर भी सड़क नहीं बन रही है।रोज वहां की जनता पहुंच जाती हैं। इन चीजों को अगर हम सौर्ट आउट करना चाहते हैं तो मै चाहता हूं कि चेयरमैन या स्पीकर लेविल पर केबिनेट सैक्रेटरी को कह कर चीफ सैक्रेटरी की मीटिंग बुलाई जाए और उन्हे आदेश दिए जाएं कि यह जो एम.पी. एरिया डवलपमेंट फंड हैं इसका मिस-यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए और इसकी गाईड लाईस बड़ी साफ सहज और सरल होनी चाहिए। इसमें कोई पेचीदगी न हो। सबसे बड़ी बात जो मौलाना जी ने उठाई कि जो पैसा पड़ा हुआ हैं वह तो गया किन्तु जो पैसा यहां से नही भेजते उसका हम क्या करेंगे और हम योजना पर योजना लिखे जा रहे हैं लेकिन वहां पैसा नहीं पहुंचता हैं। महोदया , इस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इलैक्ट्रानिक डिपार्टमेंट ने एक सैम्बिल बनाकर दिया हैं। स्कूल वाले हैं अखबार को वह पढ़ा लेते हैं, अखबार में बातें भी छप जाती हैं । वह पढ़ करके मांग करते हैं कि हमें कम्प्यूटर दीजिए। गांव वाले कम्प्यूटर मांगते हैं। तो कम्प्यूटर कहां .से दे? बिजली नहीं हैं।। अब बैटरी आपरेटिड कम्प्यूटर हम तैयार करें, गांव के लिए बैटरी आपरेटिड होंगे? सारा कुछ काम हो। गांव के लिए विलेज टाईप कम्प्यूटर का निर्माण हो सके, उसकी ऑफर हो सके तो हम सारे गांव में कम्प्यूटर पहुंचा सकते हैं। गांव का, देहात का आदमी भी यह जानना चाहता है कि आखिर यह बला हैं क्या?

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी(उत्तर प्रदेश) : शहरो में भी नहीं मिलल रही हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : नहीं दे रहे हैं। स्कूलों में बिजली के कनैक्शन नहीं हैं तो हम कम्प्यूटर कहां चलाएंगे? तो इन सारी प्रणाली पर विचार करने की जरूरत हैं और समझता हूं कि एक डिटेल्ड लिस्ट बननी चाहिए जो एम.पी. के पास उपलब्ध रहनी चाहिए कि इस योजना पर इतना पैसा खर्च होता हैं। हमे पता भी नहीं होता हैं।कलेक्टर आकर कह देता हैं कि साहब, एक किलोमीटर के इतने लाख लगते हैं, हमें दे दीजिए।। और एक कंपीटीशन हैं महोदया, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां किसी और पालीटिकल पार्टी के लोक सभा के सदस्य हैं, आ गये। साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क बनी है । तीन किलोमीटर की सड़क हमने बना दी और आधा किलोमीटर उन्होनें बना दी । उसके बाद उद्घाटन उन्होनें अपने नाम से करवा लिया साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क का।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : बोर्ड भी लगा दिया।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : जी हां, बोर्ड भी लगा दिया । इसलिए कलैक्टर को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जिन्होनें सड़क बनवाई है, बोर्ड तो उसका लगे । आधा किलोमीटर वाला साढ़े तीन किलोमीटर का बैनीफिट ले रहा है और उसके नाम की तालियां बज रही है कि साहब साढे तीन किलोमीटर की रोड गांव को दे दी । जब हम गांव जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो वहां पूछते हैं कि आपने सड़क बनवाई ? गांव के मुखिया इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि आपने बनवाई थी, उद्घाटन वह करा गये । तो यह आश्चर्य की बात हैं । कलैक्टर को यह निर्देश भी दिये जाने चाहिए । महोदया, मैं पिछले दिनों एक स्कूल में उद्घाटन करने गया तो मैनें देखा कि वहां दरार पड़ी है । मैनें जब अंदर जाकर देखा तो वहां पूरी फटी हुई हैं । मैने जब अंदर जाकर देखा तो वहां पूरी फटी हुई हैं और दीवार में दरार पड़ गयी है तो मैनें उसका विरोध किया । मैनें कलैक्टर को कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए । आपने पैसा दे दिया, यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट देख लिया और यह दरार पड़ी है,यह नहीं देखा ।तो जिस आदमी ने ऐसा किया है, उसकी इंक्वायरी हो, जिसने यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट वैरीफाई किया है, उसकी भी इंक्वायरी हो। तो यह सब कार्यवाही करने के लिए मॉनिटरिंग ऐजेंसी हो, कुछ निर्देश हों, आज तक निर्देश नहीं पहुंचे है । मैं समझता हूं कि यह आठ सौ करोड़ रूपया जो जा रहा है, यह भी लगता है कि सब पर्सनल लैजर अकांउट में जा रहा है और हम लोग लिख-लिखकर देते जा रहें हैं । ऐसा लगता है कि यह पर्सनल लैजर अकांउअ नया खुल गया है । तो इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए तरीका यही है कि चेयमैन और स्पीकर के लैवल पर कैबीनेट सैक्रेटरी को कहा जाए कि सब मुख्य मंत्रियों को वह बुलाएं और डैवलपमेंट कमिश्र्नस बुलाकर पूरी हिदायत दें कि आने वाले दिनों में पैसें का सदुपयोग कहां किया जा सके । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : श्री रामदास अग्रवाल । महेश्वर सिंह जी, आपने विषय ऐसा ढूंढा है कि उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहें हैं ।

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : महोदया, अभी सतीश जी ने कहा कि वह स्कूल में, हॉस्पीटल में पैसा देते हैं और अभी अहलुवालिया जी कह रहे थे कि हम देवस्थान में देना चाहते हैं । मैनें दो साल पहले एक

शमशानघाट के लिए पैसा दिया था पर उस शमशानघाट की तरक्की करने के लिए जो पैसा दिया वह वैसे का वैसा पड़ा हुआ है । उसकी तरक्की नही हो पायी है । कलैक्टर का ट्रांसफर हो गया है, शायद मेरे शमशान जाने का इंतजार किया जा रहा हैं ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापडे) : आप ऐसा क्यों बोल रहें हैं ?

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, यह मजाक की बात इसलिए है...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापडे) : ऐसा हो रहा है, यह मुझे भी मालूम है ।

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, अजीब बात होती है । झगड़ा दो विभागों में हो जाता है । जमीन निगम के अंडर होती है। निगम सरकार के अंदर होती है लेकिन पैसा खर्च करने की एजेंसी दूसरी होती है । दोनों में झगड़ा होता है, निपटान नहीं होता है इसलिए निर्माण नहीं होता । महोदया, यह समस्या हमारी है । मैं एक और पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरे केस में हुआ है। मुझे अभी-अभी श्री महेश्वर सिंह जी से पता लगा कि इसका पैसा लैप्स नहीं होता हैं । मेरे केस के अंदर 1994-95 के पैसे के बारे में मुझे ऐसा पूरा स्मरण है कि कलैक्टर ने मुझे ऐसा पूरा स्मरण है कि कलैक्टर ने मुझे लिखकर बताया है कि आपका इस साल का पैसा लैप्स हो गया है, आप अब इसको खर्च नहीं कर सकते । मुझे आश्चर्य हुआ । मैं म मानकर चल रहा था कि शायद ऐसी व्यवस्था हो लेकिन मेरे केस में यह हुआ और उन्होनें कह दिया कि आपने अगर 50 लाख का सैंक्शन करा दिया था तो बाद में आप पचास लाख खर्च नहीं कर सकते, वह लैप्स हो गया है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई स्थिति है और अगर नही है तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह रूपया लैप्स नहीं होता है, वह खाते में जमा रहता है तथा वह खर्च होना चाहिए । इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा हमारे माननीय सांसदों ने कहा है कि एक कमेटी बननी ही चाहिए और फिर कमेटी बनने के बाद लोगों को क्वेश्चनिंग करनी चाहिए जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था विलम्ब से हो रही है उनमें दो-चार ऐसी एक्जम्पलरी कुछ व्यवस्था हो ताकि सारे देश में कलेक्टर्स को यह पता लगे कि सांसदों के फंड में से रूपया खर्च न करना यह भी एक अपराध माना जाएगा और उनकी नौकरी के ऊपर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आंच आ सकती है तभी जाकर कोई भय पैदा होगा वरना तो हम लोग भी जैसे और विभागों में चक्कर लगाते रहते हैं वैसे ही चक्कर खाते रहेंगे । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एक कमेटी के गठन की बात आप कृपया करके शीघ्र करें । धन्यवाद ।

श्री महेशवर सिंह : महोदया, मैं एक बात कहना चाहूंगा । मेरा सुझाव है कि ...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापडें) : आप जरा बैठ जाइए । चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए ।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : महोदया,इस विषय में सभी कठिनांइयां हमारे माननीय सांसदों ने आपके सामने प्रस्तुत की हैं । मैं बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ।पहली बात तो यह है कि यह जो ब्याज का मामला है इसका अभी तक पूरा समाधान नहीं हो सका है । ब्याज उसमें जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता हैं ? मैं समझता हूं कि इससे और भी अधिक जनता की सहायता हो सकती है । इस मामले में एक स्पष्टता होनी चाहिए और इसी से संबधित दूसरा मेरा निवेदन यह है कि साल के अंत में एमपी के कहने पर कलेक्टर महोदय को उसका पूरा विवरण या हिसाब-किताब की एक कापी सांसद को देनी चाहिए ।

तीसरा निवेदन जो मुझे करना है जिसके बारे में अभी सतीश जी और अहलुवालिया जी ने भी कहा कि जब देर होती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और उसमें फिर बहुत कठिनांई होती है । खासकर गांवों के लिए इसमें बहुत कठिनाई हो रही है क्योंकि बेचारे गांव वाले या प्रधान जिनकी देखरेख में हम काम छोड़ते हैं वह बार-बार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पहुंचे नहीं सकते हैं ।

चौथी बात जो मुझे आपसे इस संबंध में कहनी है और इस बात को गंभीरता से लिया जाए कि कलेक्टर या जो भी इससे संबंधित अधिकारी है वह क्वालिटी आफ वर्क,उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखे और वह कार्य टाइम बाउंड, समय में पूरा होना चाहिए । उसके लिए जो भी तीन या छह महीने का समय निश्चित हो वह कार्य अवधि में होना चाहिए । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह कलेक्टर के निश्चय के ऊपर नही छोड़ा जाना चाहिए कि वह कार्य करने के लिए किस एजेन्सी को दिया जाये । कलेक्टर महोदय तीन या चार एजेन्सी बताते हैं उन्हीं में से वह उनको कार्य करने के लिए सौंप देते हैं । अगर वे इसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखेगें तो बहुत कठिनाई होती है । आप हैंड पंप लगवायें और अगर वह छह महीने में खराब हो जाए या उसकी गहराई 120 फीट न हो करके 80 फीट छोड दें तो उसमें सांसद की हंसी होती है और इससे जनता में आक्रोश पैदा होता ह, नाराजगी पैदा होती है, व्यर्थ में पैसा जाया

होता हैं । इसको भी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । इस वजह से मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि कोई एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी मानीटरिंग करें । बेहतर हो कि राज्य सभा की एक अलग कमेटी बनाये क्योंकि थोड़ा समस्याओं में भेद है । जो पैसा हमें दिया गया हैं उससे हम कई जिलों में कुछ छोटे-मोटे काम करवा रहे हैं । लोग दौड़ते हुए यहां दिल्ली तक आते हैं, अपना पैसा खर्च करके गांव के प्रधान आते हैं जबकि लोग सभा में एक जिले तक ही सीमित रहते हैं ।

अन्त में, मुझे यह निवेदन करना हैं कि कमेटी आफ प्रिविलेज में एक या दो मामले राज्य सभा में आये । चव्हाण साहब को याद हैं । ...(**व्यवधान**)... मामले दो सदस्यों के एकाउन्ट के पैसे से संबंधित थे । इलाहाबाद में एक सदस्य का जो पैसे से संबंधित थे । इलाहाबाद में एक सदस्य का जो पैसा था उसका गलत इस्तेमाल किया गया और दूसरे मामले में पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया गया तो उसमें अधिकारियों को बुलाया गया था । हम लोग विज्ञापन नहीं करते हैं, वैसे विज्ञापन देने को हम उचित भी नहीं समझते हैं । इसी वजह से केबीनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का यह दायित्व हो जाता हैं कि वह ऐसे मामलों को गम्भीरता से लें । हम रोज पावर्टी इरेंडिकेशन का, गांव वालों की समस्याओं का जिक्र करते हैं । मैं समझता हूं कि सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव भावना से इस मामले को लिया जाना चाहिए ।

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, बहुत धन्यवाद । मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा ।

महोदया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हैं और केन्द्रीय सरकार के बजट से सीधे-सीधे विकास कार्यो के लिए धनराशि दी जाती हैं । इसमें न तो किसी धनराशि की स्वीकृति का सवाल आता हैं और न किसी परियोजना या काम की संकल्पना का प्रश्न आता हैं । सीधे-सीधे सांसद अपने क्षेत्र में किसी भी कार्य को चिन्हित करके वहां जो व्यवस्था पहले से विद्यमान हैं, जिला स्तर पर उसका निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार लोक-हित के कार्य को करने के लिए अपनी संस्तुति करता हैं । उसके उपरान्त इसमें इतना विलम्ब क्यों होता हैं यह समझ मैं नहीं आता । मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं । पिछले वर्ष फरवरी में संस्तुत कार्यों पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं हो पाया हैं । तो मेरा निवेदन हैं कि इसके जो मार्ग-दर्शक सिद्धांत बने हैं, उनको निश्चितरूप से यह निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि प्रत्येक चरण का समय सीमांकन हो । जब संस्तुति प्राप्त हो तो उसके इतने दिन बाद आदेश हो जाएंगे, इतने दिनों बाद टेंडर हो जायेंगे और इतने बाद वह काम समाप्त हो जाएगा । जो राजकर्मी जिला प्रशासन से संबंधित हैं जिनका उत्तरदायित्व उस काम को निवर्हन करने का हैं यदि उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का समुचित निवर्हन नहीं किया हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जाएगी ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हैं कि जो ब्याज उस धनराशि पर आता हैं, वह राशि जब तक अनुपयोगी पड़ी रहती हैं, उस ब्याज का कोई हिसाब नहीं दिया जाता हैं । मेरी मांग करने के तीन वर्ष बाद इस बाद, पहली बार उन्होंने उसको भेजा हैं और यह आधा अधूरा भेजा हैं । उन्होंने उसको भेजा हैं और यह आधा अधूरा भेजा हैं । तो इस संबंध में स्पष्ट में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि जो ब्याज की राशि उसके ऊपर आती हैं उसका विवरण दिया जाए और जो अनुपयुक्त धन पड़ा रहता हैं उसका इस अवधि में किस प्रकार उपयोग किया जाए इसकी भी जानकारी सांसदों को सीधे-सीधे दी जानी चाहिए ।

तीसरी बात यह हैं कि मेरे अपने जिले में और दूसरे उत्तर प्रदेश के जिलों में भी हमने देखा हैं कि वहां जो डी.आर.डी. का आफिस हैं, जो इसकी उत्तरदायी संस्थान हैं, उसका जो कार्यालय है वह चेक रिलीज करते समय, भुगतान के समय चेक बनाने के लिए 5 प्रतिशत रिश्वत मांगता हैं । दूसरे विभागों, इंजीनियरी विभाग और बिजली विभाग, इंजीनियरी विभाग और बिजली विभाग मैं जो भ्रष्टाचार हैं वह तो हैं लेकिन इस कार्यालय के लोग चेक बनाने के लिए 5 प्रतिशत रिश्वत मांगते हैं, 5 प्रतिशत सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता हैं । इसकी पुष्टि आए जांच से कर सकते हैं । तो यह बहुत ही आक्षेप और आपत्ति की बात हैं । यह एक साझी समस्या हैं । उपसभाध्यक्ष महोदया, जब मैंने इसका हिसाब लगाया तो पता चला कि इसमें करीब 30-38 प्रतिशत राशि चली जाती हैं । अधिकारी स्वयं अनौपचारिक रूप से कहते हैं कि अगर किसी कार्य के ऊपर 60-65 प्रतिशत पैसा खर्च हो जाए तो वह एक अच्छा काम माना जाता हैं, एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती हैं । इसका मतलब यह हैं कि 60-65 प्रतिशत से भी कम धन इन कार्यो पर खर्च होता हैं । इसका मैंने एक थोड़ा सा निदान व्यक्तिगत स्तर पर निकाला हैं । मैंने जहां-जहां इस प्रकार के काम आवंटिन किए हैं तो इसके लिए एक अनौचारिक समिति उस गांव के लोगों की बना देता हूं । जहां कहीं ईटें कम लगती हैं, सड़क कम चौड़ी बनाई जाती हैं या किसी कार्य में जहां पर जितनी ईटें लगनी चाहिए उतनी नहीं लगती हैं या उनकी गुणवत्ता जो निर्धारित हैं उसके अनुरूप नहीं होती हैं तो गांव वाले लोग उस काम को रोक देते हैं । पर सब जगह ऐसा नही हो सकता हैं । यह एक छोटा सा सुझाव मैं सांसदों की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं और पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश लिखित रूप से देने चाहिए और इसमें

सांसदो की क्या भूमिका हैं, वह उसमें कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं इन प्रोविजन्म का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश कोहली (दिल्ली) : महोदया, एम. पी. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के सार्थक इम्पलीमेंटेशन में हमको बहुत दिक्कत आती हैं। खासतौर से दिल्ली में, जहां पर मल्टी-अथारिटी सिस्टम होने की वजह से आए हमको कोई के प्रोजेक्ट लेने हो जो ड्यूरेबल असेट हो सकते हो तो वहा इसके लिए हमें जमीन नहीं मिलती हैं। एन.सी.टी. की जमीन हैं, डी.डी.ए. की जमीन हमें नहीं मिलती हैं और इस कारण कोई ड्यूरेबल असेट क्रिएट करने के बजाय इस किस्म के कामों में पैसा खर्च करना पड़ता हैं जिससे बेहतर कामों में उसका उपयोग हो सकता हैं। मैडम, मैं यह चाह रहा था कि दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में रीडिंग रूम बनवा दूं, कुछ कम्युनिटी सेंटर बनवा दूं। कोई एक लाइब्रेरी बनवा दूं लेकिन हर जगह दिक्कत आती हैं लैंड की अवेलेबिलिटी की और डी.डी.ए. की तरफ से किसी किस्म से कोई चीज़ मूव नहीं करती हैं। नतीजा यह होता है कि जो पैसा किसी अच्छे ड्यूरेबल अस्सेट क्रियेंट करने वाले सार्थन काम में इस्तेमाल होना चाहिये थे वह फिर और कामों में इस्तेमाल करना पड़ता हैं। वैसे दिक्कत यह हैं कि बहुत से पार्क दिल्ली में ऐसे हैं जहां पर इनक्रोचमेंट हो रहा हैं, मवेशी बांध रहे हैं। उन पार्कों को अगर कुछ अच्छे कामों के लिए उपयोग हो सकता हैं लेकिन लैड यूज़ चेज नहीं हो सकता हैं, वहां बाधा आती हैं। मेरा केवल आपसे इतना ही कहना हैं कि पैसा हमारे पास हैं, उस पैसे का हम सार्थक उपयोग करना चाहते हैं लेकिन इस प्रकार की व्यावहारिक कठिनाईयों की वजह से पैसे का ठीक उपयोग नहीं होता हैं और फिर छुट-पुट कामों में खर्च करना पड़ता हैं। सांसदों को जो दिक्कत आ रही हैं इसके इंपलीमेंटेशन में, इसके लिए मेरा सुझाव हैं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बने, ऐसी कोई मशीनरी बने, कोई कमेटी बने जिसके सामने वह अपनी बात कह सकें और उसमें से समस्या के समाधान के लिए कोई रस्ता निकले।

प्रो. राम कापसे (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदया, एम. पी. लोकल एरिया डवलपमेंट के बारे में ...(**व्यवधान**)

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan): Searching?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No, no. I am not searching. They are raising their hands. So, I have to accommodate them. Prof. Kapse was sitting behind you. So, I looking for him.

PROF. RAM KAPSE: She has permitted me to speak on my request.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): I don't have to search the Members because they are already sitting in the House. The subject is so important that every Member would like to participate. So, I though let me give an opportunity to him to speak on this subject.

प्रो. राम कापसे : इस विषय पर जिस तरह से चर्चा हुई हैं, यह बहुत ही सार्थक चर्चा हैं, यह बहुत ही सार्थक चर्चा हैं लेकिन असली सार्थकता तब होगी कि इस महत्वपूर्ण विषय के जो मंत्री हैं, उनके पास बात पहुंचे और कुछ निर्णय करें। आज स्थिति यह हैं कि अचानक चर्चा शुरू हुई हैं, उन्हें कुछ मालूम नहीं हैं। उनके पास बात पहुंचेगी, चर्चा सार्थक तब होगी जब वह इस विषय पर आ कर कुछ स्टेटमेंट करें, कुछ एक्शन करें, तब कुछ फायदा होगा। अपनी दृष्टि से जो मोनिटरिंग की बात कही जा रही हैं, इस विषय में भी कुछ निर्णय हम करें तब सार्थक होगी। मैं अपने अनुभव कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। इसमें से कुछ सार्थक हो, इसीलिए, मैं खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : धन्यवाद कापसे जी। श्री अनुपम।

एक माननीय सदस्य : अनुपम नहीं, निरुपम। ...(**व्यवधान**)

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र) : मैं वो हूं जिसकी कोई उपमा न हो। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आभारी हूं जो आपने मुझे इस विषय पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया। सब से पहले सवाल हैं कि जो प्रोजेक्ट्स की धनराशि निश्चित की गई हैं, वह बहुत कम हैं। मैंने नागपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां बड़ी समस्या सिंचाई के पानी की हैं। आप खुछ नागपुर ज़िले की हैं, आप वाकिफ़ होंगी। मैंने यह सोचा कि सिंचाई के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए। मैं यदि छोटी से छोटी भी सिंचाई की कोई योजना लेना चाहता हूं तो उसकी लागत 30 लाख से ले कर 50 लाख तक आ रही हैं। हमारी डी. एम. साहिबा ने सजेस्ट किया हैं कि 10 लाख से ऊपर की लागत वाली प्रोजेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और बहुत सारे प्रोजेक्ट

हैं, सड़क के लेवल पर हैं, पुल के लेवल पर हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार फंड दे रही हैं । मैं सिंचाई की योजना लेना चाहता हूं लेकिन नहीं लेने दी जा रही हैं । पहला अनुरोध मैं यह करूंगा कि सांसदों की निधि का जो उपयोग हो रहा हैं, उसमें कोई ऐसो व्यवस्था हो कि मैं जितनी बड़ी योजना लेना चाहूं ले सकूं ।

दूसरी बात यह हैं कि मैंने फरवरी महीने में प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन आज तक सही ढंग से इस्टीमेट तैयार करके मरे पास नहीं आया हैं । तीसरी बात यह हैं कि मैं एक स्टेडियम बनाना चाह रहा हूं । राम टेक में जो स्टेडियम हैं उसमें गैलरी नहीं हैं ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप अगर एक-एक क्षेत्र को ले कर सारे अनुभव बताना शुरू करेंगे । think there won't be any limit. क्या करना चाहिये, किस तरीके से होना चाहिये, इसकी चर्चा होनी चाहिए

श्री संजय निरुपम : मैडम, इस विषय के तीन पहलू हैं । एक तो यह हैं कि पैसा हम खर्च करना चाहते हैं, उसमें बहुत डिले होता है । हम अनुरोध करेंगे कि इतना विलम्ब न हों, उसको तेजी से निपटाया जाए । दूसरो पक्ष यह हैं कि बड़े प्रोजेक्ट हम ले सकें । वहां डी.एम. यह बताते हैं कि गाइडलांइस ऐसी हैं कि 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट हम नहीं ले सकते हैं । हमें बड़े प्रोजेक्ट लेने की अनुमति मिलनी चाहिये । तीसरी बात यह हैं कि राम टेक में जो राम मन्दिर हैं, हम उसका जीर्णोद्धार करना चाहते हैं । इसमें यह कहा गया हैं कि आप धार्मिक कार्यक्रम नही ले सकते हैं । यह तो इस तरह का बंधन हैं, यह सारे अ बंधन हटाए जाने चाहिये । इन सारी बातों पर निर्णय लेने के लिए, डिसक्शन करने के लिए एक कमेटी बनायी जाए और कमेटी की तरफ से सही ढंग से रिक्मेंडेशन आए ताकि ये जो फंड्स हैं उनका सही इस्तेमाल हो सके और वे सार्थक हो सके । धन्यवाद ।

श्री दावा लामा (पश्चिमी बंगाल) : महोदया, इस बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखे तथा कठिनाइयों के बारे में बोला, मैं भी उनका समर्थन करता हूं । मेरी भी समस्याएं हैं । दार्जीलिंग आप लोग जानते हैं । दार्जीलिंग ऐसी जगह हैं जहां पर वर्ष के करीब सात महीने बरसात रहती हैं । तो उस जगह पर जैसे गाइडलाइन में हैं जब हम लोग कोई स्कीम या प्रोपोजल देते हैं तो प्रोपोजल देने के बाद 45 दिन के भीतर वह शुरू करना होगा । मगर करीब-करीब चार महीने पहले मैंने जो बहुत सारे प्रोपोजल्स और स्कीम दी थी वे अभी तक शुरू नहीं हुई हैं । शुरू में मैंने कहा कि इसके विशेष कारण क्याहैं । जिन स्कीम्स के अगेंस्ट हम रुपया ठीक करते हैं जैसे कई जगह रास्ते के लिए एक लाख रुपया, कई जगह पानी के लिए डेढ़ लाख रुपया, हम लोग टेकिकल तो नहीं हैं जिससे कि एस्टीमेट बनाकर दे दें । जब हम देते हैं तो ब्लाक में जाता हैं या किसी एजेंसी के पास जाता हैं फिर उसका एस्टीमेंट बनाते हैं, एस्टीमेंट बनाने के बाद वह शुरू होती हैं । मैने एक लाख का एस्टीमेट दिया...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप अपने सुझाव बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं ।

श्री दावा लामा : हमने एक लाख दिया तो एक लाख दस हजार या पन्द्रह हो जाता हैं, कोई कमी या बेशी हो जाती हैं । इसलिए एक करोड़ लिमिटेड फंड है अगर कमी या बेशी हो जाएगी तो पूरी की पूरी स्कीम्स कैसे बनेगी, यह भी बात हैं । दूसरी वेटिंग की बात हैं । कोई भी स्कीम किसी एजेसी के पास वेटिंग के लिए जाती हैं । दूसरी जगहों में ऐसा कोई बंदोबस्त हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं हैं मगर दार्जीलिंग में ऐसी कुछ कठिनाई हैं कि वेटिंग में बहुत असुविधा हैं । फिर कौन वेटिग करेगा ? एक लाख की जो स्कीम हैं किसके पास वेटिग के लिए जाएगी । फिर वेटिग में इतनी देरी हो जाती हैं जिससे कि स्कीम शुरू करने में देरी हो जाती है तीसरा, गत 10 तारीख को डी.एम. के साथ एक मीटिंग में डी.एम. ने एक प्राब्लम रखो । दूसरी स्टेट गवर्नमेंअ की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं उनमें प्रत्येक एजेंसी में जो काम करने वाली हैं उसके लिए कटिन्जेंसी का एक बंदोबस्त हैं । मगर हमारा जो पार्लियामेंट का फंड हैं उसमें कन्टिन्जेंसी का कोई बंदोबस्त नहीं हैं, कोई प्राविजन नहीं हैं । इसलिए वह प्राब्लम रखी थी । मैंने एक चिट्ठी भी लिखी हैं जो हमारी इंप्लीमेंटेशन कमेटी हैं, जो डिपार्टमेंट या जो चेयरमैन हैं उनको कि कन्टिन्जेंसी के बारे में क्या हो गया । कन्टिन्जेंसी नहीं मिलेगी तब तो डिपार्टमेंअ वाले काम करने में असुविधा महसूस करते है । कैसे जाएंगे ? दार्जीलिंग ऐसे जगह हैं जो हिल हैं । जहां दस किलोमीटर जाना हैं वहां प्लेन से करीब करीब कन्टिन्जेंसी के बारे में क्या होगा ? इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूं और एस्टीमेंट के बारे में भी मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूं ।

4.00 म. प.

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मुझे कोई लंबी बात इसमें नहीं कहनी हैं । जो बात सिब्ते रज़ी

साहब ने रखी हैं यह बहुत इसमें डिटेल्ड डिसकशन की जरूरत हैं और इसमें कोई शक नहीं हैं कि जिला लेवल पर किसी काम के लिए आप कोई भी प्रोपोज़ल रखिए उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है और उस लंबे वक्त की वजह से एम.पीज़ जो अपना प्रोपोज़ल देते हैं और उसमें बड़ी डिले होती हैं। उस डिले की वहज से अगर हम पूरी स्टडी अगर हाउस की बनाई जाए तो मैं समझता यह हूं कि उसमें हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर सकेंगे । श्री सोमपाल जी ने जो करप्शन की बात कही हैं वह बहुत इंपार्टेट हैं । मैं समझता हूं कि अगर एम.पीज़ का पैसा भी करप्शन के जरिए इस्तेमाल हो रहा हैं तो इस पर भी हमें गौर करना चाहिए और इन तमाम कमियों को भी हमें दूर करना चाहिए तथा एक कमेटी बनाई जाए ताकि जो बात सिब्लें, रज़ी साहब ने कही हैं उसको हम ईमानदारी के साथ पूरा कर सकें।
बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महेश्वर सिंह : महोदया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह विषय इतना महत्वपूर्ण हैं कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना हैं कि एक तो इस सत्र की कालावधि बहुत कम हैं, तो जैसा कि यहां माननीय कापसे जी ने भी कहा कि इस सत्र के समाप्त होने पूर्व जो संबंधित मंत्री महोदय हैं कम से कम उनको ऐसे निर्देश दें कि वे यह तो सुनिश्चित कर सकें कि जो इस पर ब्याज, अर्जित होता हैं वह भी विकास कार्यों पर खर्च होगा और इस संदर्भ में एक स्टेटमेंट भी यहां आ कर दें।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : मैडम, सारे हाउस ने इस सिस्टम के खिलाफ पूरा वक्तव्य रखा और लीडर ऑफ द आपोजीशन चुपचाप बैठे हैं ...(**व्यवधान**) इन्होंने कुछ नहीं कहा। हम तो इनसे कुछ सुनना चाहते थे । कम से कम इस इश्यू पर हमारी तो वकालत कर दें और कुछ तो उर्दू में बोल दें। हद हो गई ...(**व्यवधान**)

श्री सोमपाल : सरकार टिप्पणी नहीं करती तो विपक्ष के नेता ...(**व्यवधान**)

श्री एम. एम. अहलुवालिया : सुना हैं प्रधान मंत्री जी उर्दू भाषा बहुत अच्छी समझते हैं, हमारी अंग्रेजी, हमारी हिन्दी नहीं समझते हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री नरेश यादव : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसमें विपक्ष के नेता को भी कुछ कहना चाहिए । उनकी क्या राय हैं यह हम उनसे सुनना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)

श्री वसीम अहमद : कभी- कभी तो हाउस का माहौल अच्छा होता हैं और सकुचा रहे हैं। आप बोल दीजिए। ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मुझे लगता हैं कि सभी ने अपने-अपने विचारों को सदन के सामने रखा और इस विषय में विभिन्न दारों की ओर से जो सजेंशंस आए हैं ...(**व्यवधान**)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFARIS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Madam, I have taken careful note of what the hon. members have said. We understand the importance of all the points that the members have put forward. These are very crucial and important points. We will make notes and convey them to the concerned Minister. We will make it sure that aciton is taken on what the hon. members have said.

SHRI RAMDAS AGARWAL: When will they come back to the House?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is impossible for me to give a time-frame.

PROF. RAM KAPSE: We would like to have a statement from the concerned Minister.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I will certainly convey it to the concerned Minister. We will try to bring a statement before the House. *(Interruptions)*. I said, "We will try".

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : यह जो स्पेशल मेंशन के माध्यम से आपने विषय उठाया था उसके बारे में सभी दलों के सदस्यों ने अपने-अपने विचारों को रखा। उन विचारों को सुनने के लिए बड़ी खामोशी के साथ हमारी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यहां पर बैठी हुई थी और सुनने के बाद उनको भी ऐसा लगा कि आपकी जो कठिनाइयां हैं इस विषय की ओर उनको देखते हुए उन्होंने आश्वासन भी दिया हैं कि हम संबंधित मंत्रालय को सूचित करेंगे और सेशन के खत्म होने के पहल-पहले ही इस पर उनसे बयान दिलवायेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ आश्वासन

हमारी पालियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर दे सकती हैं । हम उनके बहुत आभारी हैं । ...(**व्यवधान**)

श्री राम दास अग्रवाल : पहले यह हमारे साथ बैठती थी और अब वहां पर हैं तो उनके आश्वासन पर हम भरोसा कर सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : अग्रवाल जी, वैसे भी आप महिलाओं पर विश्वास कर सकते हैं,

भरोसा कर सकते हैं ...(**व्यवधान**) 33 परसेंट रिज़र्वेशन नहीं देने के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर आप भरोसा कर सकते है...(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : 33 परसेंट रिज़र्वेशन दिया जाएगा पर टाइमफ्रेम बताना बहुत मुश्किल हैं ।

Need to Provide Minimum Wages and other Facilities to Beedi Workers of Vidarbha in Maharashtra

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्व के प्रश्न की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह प्रश्न उन लाखों लोगों से संबंध रखता हैं, जो बीड़ी बनाते हैं । मुझे अफसोस हैं कि बीड़ी मजदूरों की समस्या फिर से जटिल होती जा रही हैं । पिटीशन कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट भी पेश हो चुकी हैं । काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक भी उनकी स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया हैं । पहले फैक्टरियों में काम करने वाले लोगों को कार्ड मिला करते थे । उन कार्ड के आधार पर कुछ प्रिवीलेज देने की बात होती थी । उनकी वस्तियां भी बसती थीं,मेडीकल रिलीफ भी मिलती थी, प्रोवीडेंट फंड की भी व्यवस्था थी । ऐसा लगता था कि अगर यह कार्ड होल्डर वाली पद्धति और स्ट्रेन्थन हो जाती हैं तो अधिकांश ऐसे लोगों को इस बात से राहत मिलने लगेगी और समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा । लेकिन, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि कार्ड होल्डरों की संख्या योजनापूर्ण ढ़ंग से घटाने का प्रयत्न चला हैं । उनको थोड़ा बहुत रूपया दे दिया जाता हैं, परमानेंट एंपलायमेंट में से उनको हटा देते हैं और फिर घर खेप के आधार पर उनसे काम लिया जाता हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, विदर्भ में ही चार लाख लोग ऐसे हैं, जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं । कुछ वर्षों तक वहां कारखानों में 80 हजार लोग काम करते थे, आज उनकी संख्या, कारखानों में काम करने वालों की, 80 हजार से घटकर 12 हजार हो गई हैं । जिसको गोल्डन हेंडशेक कहते हैं, कारखानों में उसका दूसरा अर्थ रहता होगा, बीड़ी मजदूरों को हजार, दो हजार रुपया देकर परमानेंट एंपलाई के नाते से उनका नमा हटा दिया जाता हैं और फिर वह काम तो वही करते हैं, घर खेप के आधार पर वह लोग बीड़ी बनाते हैं ...(**व्यवधान**)

श्री नरेश यादव (बिहार) : महोदया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं । वहीं से आवाज आ रही हैं, डिस्टबेन्स हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि यह बंद जाए क्योंकि इस महत्वपूर्ण बात हो सदन सुनना चाहता हैं ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : ठीक हैं, चेक कराते हैं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : महोदया, अब कार्ड होल्डर न रहने की वजह से उनके निवास की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी खतम हो गई, प्रोवीडेंट फंड अब देने की जरूरत नहीं हैं, उनके दवादारू का इंतजाम या उनके लिए हास्पीटल खोलकर इलाज कराने की जो व्यवस्था थी उसकी जिम्मेदारी से भी वह बच गए । भविष्य निधि जो इन लोगों की पहले से भी वह बच गए । भविष्य निधि जो इन लोगों की पहले से जमा हैं, आज उसको प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही हैं । मजदूर दर दर भटकते रहते हैं । अब उनकी मदद करने वाला वहां कोई दिखाई नहीं देता ।

महोदया, जो घर खेप में बीड़ियां बनती हैं, अब हजार बीड़ी के लिए 550 ग्राम पत्ता और 203 ग्राम तम्बाकू दिया जाता हैं । जनरल रिपोर्ट यह हैं कि यह मात्रा बीड़ियों के लिए कम हैं, इसमें हजार बीड़ियां नहीं बनाई जा सकती । मुसीबत यह हैं कि जब बीड़ी बनाकर लाते हैं और 200 बीड़ी उसमें से छांट दी जाती हैं कि अपटू द स्टैडर्ड नहीं हैं । इसका कसूर बीड़ी बनाने वालों का नहीं हैं, उसको कम तम्बाकू दिया गया हैं और इस वजह से अच्छी बीड़ी वह नहीं बना सके । सामान्यतया एक हजार बीड़ी बनाने का 39/- रुपया देना चाहिए, पता नहीं कैसे हिसाब बन रहा है ओर एक एवरेज 16/- रुपया प्रति हजार दिया जा रहा हैं । जो मिनिमम वेजेज की बात हैं, वह भी वहां लागू नहीं हैं । इसमें भी ओन एन एवरेज किस कस्टम से उन्होंने शुरू कर दिया कि 12 परसेंट डिडक्शन करके पैसा देते हैं ।

मैं चाहता हूं कि सरकार, सरकार का श्रम विभाग, इन मामलों पर विशेष ध्यान दें । लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन बीड़ी बनाना हैं और आज उनका बहुत जबर्दस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हैं । उनको जो सुविधाएं होनी चाहिए थीं, वे अंडर हैड तरीके से विदड्रा की जा रही हैं और आज वे केवल ठेकेदारों की मर्सी पर 16 रुपए हजार बीड़ी के आधार पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं । मज़ा यह हैं कि ऐसे लोग जो घरों पर बीड़ी बनाते हैं । आजकल एक नई